HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 958/2022

IN

S.B. Civil Writ Petition No. 20640/2018

1. Ratan Lal Mishra Son Of Shri Gyarsi Lal Mishra, Aged About 58 Years, Resident Of V And P, Bhudoli, District Sikar (Raj.) (At Present Working On The Post Of Sr. Assistant In Gajanand Modi Government Sr. Secondary School, Neemkathana, District Sikar)
2. Mahesh Kumar Saini Son Of Shri Mahaveer Prasad Saini, Aged About 56 Years, Resident Of New Janta Colony, Near Water Well No. 5, Ward No. 42, Piprali Road, Sikar (Raj.) (At Present Working On The Post Of Sr. Assistant In Government Girls Sr. Secondary School, Piprali, District Sikar)
3. Mohan Lal Chejara Son Of Shri Mangi Lal Chejara, Aged About 61 Years, Resident Of Near Trimurti Mandir, Radhakishanpura, Ward No. 29, Sikar (Raj.) Retired On 31.7.2021)
4. Vijay Kumar Sharma Son Of Shri Parmeshwar Lal Sharma, Aged About 55 Years, Resident Of Ward No.5, Gandhi Nagar, Pink House Road, Sikar (Raj.) (At Present Working On The Post Of Sr. Assistant In Government Shri Kalyan Sr. Secondary School, Sikar)
5. Rameshwar Lal Son Of Shri Mahadev Ram, Aged About 54 Years, Resident Of Dhani Dhaylan, Village Ghatamdas, Post Holya Ka Bas, Srimadhopur, District Sikar (Raj.) (At Present Working On The Post Of Sr. Assistant In Government Sr. Secondary School, Holya Ka Bas, Srimadhopur, District Sikar)
6. Purushottam Sharma Son Of Shri Bhimraj Sharma, Aged About 63 Years, Resident Of Gushala Road, Ward No. 12, Srimadhopur, District Sikar (Raj.) (Retired On 30.9.2020)

----Petitioners

Versus

1. Shri P.k. Goyal, Addl. Chief Secretary To Government, Education Department, Government Of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)

2. Shri Gaurav Agarwal, Director, Secondary Education, Rajasthan, Bikaner.
3. Shri Ram Chandra Pilania, District Education Officer, Secondary (Hq), Sikar (Raj.)
4. State Of Rajasthan, Through Addl. Chief Secretary To Government, Education Department Government Of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ajay Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Abhishek Sharma Mr. S.M. Sharma for Mr. Manoj Sharma, AAG

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

26/02/2026

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का तर्क है कि प्रकरण में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 02.02.2023 के द्वारा याचीगण रतन लाल मिश्रा, महेश कुमार सैनी, मोहन लाल चेजारा, विजय कुमार शर्मा, रामेश्वर लाल व पुरूषोत्तम शर्मा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 की पालना में लिपिक भर्ती में कनिष्ठतम अभ्यर्थी की कार्यग्रहण तिथि दिनांक 02.02.1990 के अनुसार वेतन नियमितिकरण एवं स्थायीकरण किया जाकर काल्पनिक नोशनल परिलाभ देय किए जा चुके हैं और न्यायालय के आदेश की पूर्ण पालना की जा चुकी है।

इसके सदंर्भ में याची अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त रिट याचिका ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 21214/2017 में पारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए पारित की गई है और ओमप्रकाश की रिट में पैरा नं. 7 में इस तथ्य का उल्लेख आया था कि याचीगण को उक्त रिट में प्रत्यर्थीगण संख्या 4 से 8 से वरिष्ठ मानते हुए मैरिट लिस्ट में रखा जाए और उसी आदेश के अनुसार उपरोक्त रिट याचिका निस्तारित की गई है। उनका यह भी तर्क है कि याचीगण के संदर्भ में

न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि याचीगण को समस्त पारिणामिक लाभ 3 माह में प्रदत्त करेंगे। उनका यह भी तर्क है कि पारिणामिक लाभों के अंतर्गत पदोन्नति सम्मिलित है और उक्त आदेश दिनांक 02.02.2023 द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करते हुए उसकी अवहेलना की गई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में उनके द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हे कि पैरा संख्या 3 में अनिल कुमार व्यास जो आरपीएससी में एल.डी.सी. (संयुक्त) 1986 में उत्तीर्ण हुआ था और उन्हें 100 अंक प्राप्त हुए थे। याचीगण के अंक अनिल कुमार से अधिक थे अतः ऐसी स्थिति में याचीगण को अनिल कुमार से मैरिट में नीचे रखना उचित नहीं है और उसे प्रमोशन उपरोक्त आदेश के उपरांत दिया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची द्वारा मुख्यतः रिट इस अनुतोष के साथ प्रस्तुत की गई है कि दिनांक 09.02.1990 से उनकी वरष्ठिता की तिथि नियमित की जाए जिससे उनसे कनिष्ठतम व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। न्यायालय द्वारा पारिणामिक लाभ प्रदत्त किए जाने के संदर्भ में इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था कि याचीगण को अनिल कुमार से वरिष्ठ रखा जाए, पारिणामिक लाभ के रूप में वास्तविक लाभ प्रदान किए जाए इत्यादि। अतः ऐसी स्थिति में उक्त याचीगण के संदर्भ में पालना पूर्ण हो चुकी है और प्रथमदृष्टया अयाचीगण के विरुद्ध अवमानना का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अवमानना याचिका समाप्त की जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आदेश दिनांक 10.11.2021 के आदेश में न्यायालय द्वारा याचीगण के संबंध में यह आदेश पारित किया गया था कि ओमप्रकाश के प्रकरण में जो निर्देश प्रदान किए गए हैं उसके अनुसार याचीगण को पारिणामिक लाभ प्रदान किया जाए।

ओमप्रकाश के प्रकरण में संबंधित याचीगण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 के संदर्भ में वरिष्ठता क्लेम की गई थी। इस प्रकरण

में याचीगण द्वारा अपनी मूल याचिका में अपनी वरिष्ठता तिथि 09.02.1990 से तय किए जाने का अनुतोष चाहा है और इस प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है कि उनके जूनियर को वरिष्ठता देकर उन्हें पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है इत्यादि। इसी प्ररिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 10.11.2021 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था–

"In view thereof, the instant writ petition is also disposed of in the light of directin given by this court in case of Om Prakash (supra). The petitioners shall be extended consequential benefits within a period of three months from the date of submission of copy of this order."

इस प्रकार उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि याचीगण द्वारा दिनांक 09.02.1990 से अपनी वरिष्ठता क्लेम की गई और उसी के संदर्भ में पारिणामिक लाभ प्रदत्त किए जाने के न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था। उपरोक्त आदेश में इन तथ्यों का समावेश नहीं था कि याचीगण को वरिष्ठता में अनिल कुमार से वरिष्ठ रखा जाऐगा तथा पारिणामिक लाभ के रूप में वास्तविक भुगतान वरिष्ठता तिथि 09.02.1990 से देय होंगे। अतः ऐसी स्थिति में यह न्यायालय यह पाता है कि आदेश दिनांक 02.02.1990 से वरिष्ठता प्रदान किया जाकर उन्हें नोशनल लाभ दिया जाना अपने आपमें न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना है और सारभूत रूप से उक्त आदेश की पालना हो चुकी है। अतः अब अवमानना याचिका में कार्यवाही करना उचित नहीं है।

अतः उक्त अवमानना याचिका निस्तारित की जाती है।

नोटिस उन्मोचित किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /78